

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1497

दिनांक 12/11/2021

प्रार्थीगण :-

1. हुसैन पुत्र वसाया, जाति मुसलमान
निवासी सुकालिया (बीजराड़)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. अशोक पुत्र हस्तीमल जाति जैन, निवासी चौहटन
2. मेहराराम 3. पोकरराम पि. चेनाराम, जाति जाट
निवासी बीजराड़ 4. शेरा पुत्र चेना 5. केसी पत्नि
भूरा, जाति जाट, निवासी रतासर, तहसील चौहटन,
6. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 65/2021

दिनांक : 29.10.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा सुकालिया के खेत खसरा सं. 725 रकबा 00.14 बीघा एवं खसरा सं. 1043/716 रकबा 60.00 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1498 to 1501

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण हुसैन
3. विप्रार्थीगण अशोक वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक 12/11/2021

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन